F.No. A.11019/Internal Misc./2023-NMPB (Admn.)

भारत सरकार/Government of India

आयुष मंत्रालय/Ministry of Ayush

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड/National Medicinal Plants Board (NMPB)

1st & 2nd Floor, Indian Red Cross Society (IRCS)
(Annexe Building), Red Cross Road
नई दिल्ली / New Delhi – 110 001
Dated: January 03, 2025

CIRCULAR

Subject: Punctuality of office attendance and Bio-metric Attendance (AEBAS) by all Officers/Officials of NMPB, Ministry of Ayush.

The undersigned is directed to refer to the subject cited above and to state that time to time instructions are being issued to officials (including contractual staff) of NMPB for maintaining punctuality, marking their attendance on Aadhar Enabled Bio-metric Attendance System(AEBAS) and proceeding on leave with prior permission.

2. It has been observed that for the past few days, officials of NMPB are not able to mark their attendance on AEBAS in view of non-functional of bio-metric machine. As also newly joined contractual staffs are not on boarded on AEBAS so far. The newly contractual staff are required to be registered on AEBAS by IT team immediately so that they could mark their attendance on AEBAS system with immediate effect.

3. In view of the above, following instructions are issued for strict compliance:-

a) All officers/officials including outsourced staff of NMPB will adhere to the office time and maintain punctuality.

b) All officers/officials including outsourced staff of NMPB will mark their attendance through AEBAS system without fail.

c) Before proceeding on leave, the officers /officials and outsourced staff shall take prior permission from their respective controlling authority.

This issues with the approval of competent authority.

(Piyush Kumar)
Finance & Administrative Officer,
National Medicinal Plant Board
Ph: 011-23721826

To

1. All Officers, Consultants and Outsourcing staff, NMPB, Ministry of Ayush

2. IT Desk: - to upload in the NMPB portal and take immediate action as described in para 2 above.

Copy to: PPS to CEO, NMPB/PS to Dy. CEO, NMPB for kind information please.

एफ.सं.ए.11019/आंतरिक विविध/2023-एनएमपीबी (प्रशासन)

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी)

प्रथम एवं द्वितीय तल, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस)

(एनेक्सी बिल्डिंग), रेड क्रॉस रोड

नई दिल्ली-110001

दिनांक: 03 जनवरी, 2025

<u>परिपत्र</u>

विषय: एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्यालय में समय पर उपस्थिति और बायोमेट्रिक उपस्थिति (एईबीएएस) सुनिश्चित करना।

अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपर्युक्त विषय का संदर्भ ले ने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि समय-समय पर एनएमपीबी के अधिकारियों (अनुबंधित कर्मचारियों सहित) को समय की पाबंदी बनाए रखने, आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने तथा पूर्व अनुमति लेकर अवकाश पर जाने के निर्देश जारी किए जाते हैं।

2. यह देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से एनएमपीबी के अधिकारी बायोमेट्रिक मशीन के काम न करने के कारण एईबीएएस पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही, नए शामिल हुए संविदा कर्मचारियों को भी अभी तक एईबीएएस पर नहीं जोड़ा गया है। नए संविदा कर्मचारियों को आईटी टीम द्वारा तुरंत एईबीएएस पर पंजीकृत कर ना आवश्यक है ताकि वे तत्काल प्रभाव से एईबीएएस प्रणाली पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकें।

3. उपर्युक्त के मद्देनजर, निम्नलिखित निर्देश सख्त अनुपालन हेतु जारी किए जाते हैं:-

क) एनएमपीबी के आउटसोर्स कर्मचारियों सहित सभी अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय समय का पालन करेंगे और समय की पाबंदी बनाए रखेंगे।

ख) एनएमपीबी के आउटसोर्स कर्मचारियों सहित सभी अधिकारी/कर्मचारी अनिवार्य रूप से एईबीएएस प्रणाली के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

(ग) छुट्टी पर जाने से पहले, सभी अधिकारी/कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी अपने संबंधित नियंत्रण प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेंगे।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(पीयूष कुमार)

वित्त एवं प्रशासनिक अधिकारी,

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड

फ़ोन: 011-23721826